

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र./1424/स्था./प्रशासन/2001

बिलासपुर, दिनांक 10.08.2001

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की स्थगित आपात बैठक दिनांक 09.08.2001 के पद क्रमांक -1 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुरासा स्वीकार करते हुये प्रौद्योगिकी संस्थान (सूचना प्रौद्योगिकी) विभाग में उपाचार्य के अस्थाई रिक्त पद के विरुद्ध चयन समिति द्वारा व्याख्याता के लिये अनुशंसित गुणानुक्रम के सरल क्रमांक-5 में दर्शित श्री राजेश माहुले को वेतनमान रू. 8000-275-13500/- में व्याख्याता के पद पर प्रथमतः एक वर्ष अथवा उपाचार्य पद के पुनर्विज्ञापन एवं चयन के उपरांत पद की पूर्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

श्री राजेश माहुले का वेतन मूलभूत नियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

इनकी सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम-31 एवं अध्यादेश क्रमांक-4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होंगी।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत भत्ते देय होंगे।

इस मद में होने वाला व्यय स्ववित्तीय योजना के प्रौद्योगिकी संस्थान के बजट से विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार
(~~रूपी~~ ~~राम~~ ~~त्रिवेदी~~)
कु.त.स.वि.व

पृ.क्रमांक/1425/स्था./प्रशासन/2001

बिलासपुर, दिनांक 10.08.2001

प्रतिप्रिपि -

1. श्री राजेश माहुले ई. डब्लू. एस.-223 वैशाली नगर, पोस्ट- मुनेला, भिलाई, जिला- दुर्ग {उत्तीसगढ़} 490023.
को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता/पात्रता प्रमाण पत्र, यदि सेवा में हों तो नियोजन का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

कमांक 842 / स्था / प्रशा / 2008

बिलासपुर, दिनांक 08.04.08

आदेश

विश्वविद्यालय आदेश कमांक 1424 / स्था. / प्रशा. / 01, दिनांक 10.08.2001 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.03.08 विषय कमांक 12 में लिये गये निर्णयानुसार प्राप्त विधिक अभिमत मान्य करते हुये श्री राजेश माहुले, को स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में व्याख्याता (अनारक्षित) के पद पर, पद के सृजन की तिथि 27.01.2005 से नियुक्त मान्य किया जाता है।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

(C. C. C.)

कुलसचिव

पृ.कं. 843 / स्था. / प्रशा. / 2008

बिलासपुर, दिनांक 08.04.08

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव जी के सचिव/निज सहायक को कुलपति/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
02. निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
03. वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
04. सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
05. श्री- राजेश माहुले, व्याख्याता प्रौद्योगिकी संस्थान को सूचनार्थ।
06. निजी नरती।

उप-कुलसचिव (प्रशासन)